न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

पीठासीन अधिकारी– रणसिंह आर.ए.एस

नं. मुकदमा– 40/12

1. हुकमाराम पुत्र मेघाराम
2. नरसीराम पुत्र मेघाराम
3. गोरधनराम पुत्र मेघाराम
4. भीमा वल्द दुर्गाराम
5. मांगीलाल पुत्र लाभूराम
6. उमा बेवा सीयाराम

जाति रैगर निवासीगण दासौडी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

वादीगण

बनाम

1. मु. आशा पत्नि मांगीलाल
2. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल
3. मदनलाल पुत्र मांगीलाल
4. हरिओम पुत्र मांगीलाल
5. कालूराम पुत्र मांगीलाल
6. पूनमचंद पुत्र मांगीलाल
7. शिवलाल पुत्र मांगीलाल
8. बीदामी पुत्री मांगीलाल
9. रेवन्ती पुत्री मांगीलाल
10. विमला पुत्री मांगीलाल
11. शारदा पुत्री मांगीलाल
12. रामेश्वरी पत्नि अमराराम
13. मंजू पुत्री अमराराम
14. कोजाराम पुत्र अमराराम
15. ओमप्रकाश पुत्र अमराराम
16. सुनील पुत्र अमराराम
17. श्यामलाल पुत्र अमराराम
18. राजस्थान स्टेट द्वारा तहसीलदार (राजस्व) कोलायत
19. उप–पंजीयन कोलायत

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र प्रसाद गहलोत एडवोकेट
श्री कृष्ण विश्नोई एडवोकेट। –वादीगण

प्रतिवादीगणः– श्री दिनेश गहलोत
श्री राधाकिशन स्वामी
श्री राजेन्द्रसिंह राठौड
श्री सुमेरदान बिट्ठू एडवोकेट –प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 09.04.2015

दोष के तथ्य निम्नप्रकार से है कि ग्राम दासौडी स्थित खेत खसरा नम्बर 65 क्षैत्रफल 6.20 हैक्टर, खसरा नं. 68 क्षैत्रफल 9.81 हैक्टर तथा खसरा नं. 390 क्षैत्रफल 10.55 हैक्टर कुल किता 3 कुल क्षैत्रफल 26.56 हैक्टर भूमि वाके ग्राम रोही दासौडी में स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 के संयुक्त खाते में एवं कब्जा काश्त में चली आ रही जमाबंदी संवत 2065 संलग्न दावा है।

Scanned by CamScanner

यह कि विवादग्रस्त भूमि में वादीगण सं. 1 से 3 का तथा उनकी बहिनों का 1/4 हक हिस्सा निहित है तथा वादीगण सं. 4 का 1/4 हक व हिस्सा तथा वादीगण सं. 5 का 4.00 क्टर हिस्सा तथा वादी सं. 6 का 2.65 हैक्टर हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 11 का 1/8 हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी सं. 12 से 17 का 1/8 हक व हिस्सा निहित है तथा संयुक्त रूप से कब्जा व अधिकारी में स्थित है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 के मध्य भूमि को विक्रय करने को लेकर काफी तनाजा चल रहा है। प्रतिवाद सं. 1 से 17 उक्त भूमि को विभाजन कराये बगैर ही किसी अन्य परिवार के व्यक्ति को भूमि बेच कर कब्जा कराने की कुचेष्ठा में है। जिसे रोका जाने हेतु यह चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत है। यदि प्रतिवादीगण सं. 1 से 17 उक्त विवादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय कर देते है जो कई प्रकार की मुकदमा बाजी बढ जायेगी जिसे रोका जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादीगण सं. 2 से 7 दिनांक 02.06.2012 को अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और उन्हें भूमि बताकर विक्रय करने की बात चीत की तथा उन्हें विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की है और अविभाजित है, सभी कोटिनेन्ट का कब्जा काश्त है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषकगण ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादगत भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एवं बाउंडस खाता विभाजन करने का कथन किया है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम दासौडी तहसील कोलायत स्थित खेत ख.नं. 65 रकबा 6.20 हैक्टर ख.नं. 68 क्षैत्रफल 9.81 हैक्टर तथा ख.नं. 390 क्षैत्रफल 10.55 हैक्टर कुल किता 3 कुल क्षैत्रफल 26.56 हैक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी भूमि के आधार पर बाई मीटस एवं बाउंडस भूमि व लगान विभाजन के प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा जावे।

प्राथमिक डिग्री जारी की जाती है खर्चा पक्षकार अपना वहन करें। पर्चा डिग्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2015 को सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(रणसिंह) 9/5/11

उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

Scanned by CamScanner